

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276097
SG-DL-E-10092026-276097असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 195
No. 257]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948	[N. C. T. D. No. 195

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (डीओपी) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

फा. सं. 11/57/गृह-डीओपी/2026/812-825.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा, श्री प्रशांत प्रकाश, अधिवक्ता को दिनांक 09.07.2026 के अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर पुलिस थाना, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152(2)/126(2)/127/303 (2)/308(4)/351/3 (5) के अंतर्गत एफआईआर संख्या 206/2026 केस के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय तथा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

कार्य का विवरण	प्रस्तावित भुल्क
उपस्थिति प्रति सुनवाई	25,000/- रुपये

एएसजी/वरिष्ठ पीपी/जांच अधिकारी पैरोकार के साथ मामले की परिचर्चा हेतु सम्मेलन शुल्क	10,000 /— रुपये
याचिका/आवेदन/उत्तर आदि का प्रारूपण	10,000 /— रुपये
लिपिकीय	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, 31st August, 2026

F. No. 11/57/H-DOP/2026/812-825.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Prashant Prakash Advocate, as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court, as well as Hon'ble High Court and any other Court in the matter of case FIR No. 206/2026, U/s 152(2)/126(2)/127/303(2)/308(4)/351/3(5) BNS, PS Laxmi Nagar, Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 09.07.2026:-

Detail of work	Proposed fee
Appearance per hearing	Rs. 25,000/-
Conference charges for discussion of case with ASG/ Senior PP/Investigating Officer Parokar	Rs. 10,000/-
Drafting Petition/ Application /Reply/etc.	Rs. 10,000/-
Clerkage	10% of the total bill amount.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
L.K.GAUTAM, Dy. Secy. (Home-DOP)